



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3422/2023

Rakesh Kumar Gupta S/o Late Shri Ram Kishan Gupta, Aged About 59 Years, R/o Plot No. 127, Padmawati-B, Nirman Nagar, Ajmer Road, Jaipur

-----Appellant

Versus

1. Smt. Vimla Devi W/o Late Shri Kishan Lal Saini, Aged About 56 Years, R/o Tilaka Ki Dhani, Peeli Ki Talai, Kasba, Amer, District Jaipur
2. Kamlesh Saini Alias Kamal Saini S/o Late Shri Kishan Lal Saini, Aged About 22 Years, R/o Tilaka Ki Dhani, Peeli Ki Talai, Kasba, Amer, District Jaipur
3. Sub Registrar, Tehsil Amer, District Jaipur.

-----Respondents

For Appellant(s) : Mr. R N Mathur, Sr. Adv.
Assisted by Mr. Bajrang Lal Choudhary, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/11/2023

प्रत्यर्चीगण सं. 1 से 3 को पी एफ नोटिस पेश किये जाने पर नियमानुसार नोटिस जारी किये जावे। निवेदन अनुसार नोटिस अपीलार्थी के अधिवक्ता को दस्ती प्रदान किये जावे।

अंतरिम स्थगन आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी द्वारा 10 लाख रुपये की चैक राशि प्राप्त करना स्वीकार किया है, लेकिन प्रयोजन अलग बताया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा मात्र अनुबंध मौखिक होने के आधार पर अस्थाई व्यादेश का आवेदन खारिज किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय, अंतरित आदि कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से जटिलताएं उत्पन्न होगी।

चूंकि प्रत्यर्थीगण उपस्थित नहीं है, अतः गुणदोषों पर जाए बिना व अनावश्यक रूप से जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो, मात्र इस सीमित उद्देश्य के लिए सुनवाई की आगामी तिथि तक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय, अंतरित व भारित नहीं करे।

यह आदेश प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को तामील होने के बाद प्रभावी होगा तथा सुनवाई की आगामी तिथि पर यह आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा तथा आगामी तिथि पर दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जावेगा।

पत्रावली दिनांक 30.01.24 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J